के-15016/157/2015-एससी-I

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 31 जुलाई, 2015

## कार्यालय ज्ञापन

विषयः **स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च समिति का गठन।**

स्मार्ट सिटी मिशन विवरण और मार्गनिर्देशों के पैरा 13.1 के अनुसरण में, सर्वोच्च समिति (एसी) निम्नानुसार गठित की जाती है:

| | | |
|---|---|---|
| i) | सचिव, शहरी विकास मंत्रालय | अध्यक्ष |
| ii) | सचिव, आवास एवं गरीबी उन्मूलन | सदस्य |
| iii) | सचिव (व्यय) | सदस्य |
| iv) | संयुक्त सचिव, वित्त, शहरी विकास मंत्रालय | सदस्य |
| v) | निदेशक, एनआईयूए | सदस्य |
| vi) | मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन | सदस्य |
| vii) | राज्यों के प्रमुख सचिवों का चयन (*) | सदस्य |
| viii) | एसपीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन (#) | सदस्य |
| ix) | राष्ट्रीय मिशन निदेशक | सदस्य सचिव |

2. सर्वोच्च समिति, पीठ के अनुमोदन से, यूएन हैबीटेट, विश्व बैंक, टीईआरआई, प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), स्मार्ट सिटी केंद्र (सीएससी), बैंगलौर जैसे हितधारकों या अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों और शहरी योजना विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित/सह-योजित कर सकेगी।

---

*(*) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्य प्रत्येक वर्ष बदले जाएंगे। वर्ष 2015-16 के लिए, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के प्रमुख सचिवों (यूडी) को समिति के सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।*

*(#) एसपीवी के चयनित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के नाम पृथक रूप से जारी किए जाएंगे।*

3. सर्वोच्च समिति समग्र मार्गनिर्देश उपलब्ध कराएगी और मिशन के लिए सलाहकार की भूमिका अदा करेगी। एससीएम मार्गनिर्देशों के पैरा 13.1.2 के अनुसार इसके मुख्य उत्तरदायित्व निम्न हैं:

i. चरण 1 के बाद राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए शहरों के नामों की सूची की समीक्षा करना।

ii. चरण 2 के बाद विशेषज्ञों के पैनल द्वारा मूल्यांकित प्रस्तावों की समीक्षा करना।

iii. कार्यान्वयन में प्रगति के आधार पर निधियों के जारी करने को अनुमोदित करना।

iv. जैसा और जब अपेक्षित हो, कार्यान्वयन युक्तियों में मध्यावधि सुधार की संस्तुति करना।

v. विभिन्न मंत्रालयों के अन्य मिशन/स्कीमों और कार्यकलापों के साथ बजट, कार्यान्वयन और समन्वयन सहित स्कीम के कार्यकलापों की तिमाही समीक्षा करना।

4. अपर सचिव (स्मार्ट सिटी) राष्ट्रीय मिशन निदेशक होगा। वह मिशन से संबंधित सभी कार्यकलापों का समग्र प्रभारी होगा। मिशन निदेशक की मुख्य जिम्मेदारियां निम्नलिखित होंगी:

i. शहर प्रतिस्पर्धा के विस्तृत डिजाइन सहित, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कार्यनीतिक ब्लूप्रिंट और विस्तृत कार्यान्वयन रोडमैप तैयार करना।

ii. केंद्र, राज्यों, यूएलबी और बाह्य हितधारकों के बीच यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वयन करना कि बाह्य एजेंसियों का प्रयोग एससीपी, डीपीआर, सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा करने, स्मार्ट समाधान विकसित करने आदि के लिए दक्ष रूप से किया गया है।

iii. क्षमता निर्माण का निरीक्षण करना और एसपीवी, राज्य और यूएलबी की हैंडहोल्डिंग में सहायता करना। इसमें संग्रह की सर्वोत्तम परिपाटियों का विकास करना और बनाए रखना (मॉडल आरएफपी दस्तावेज़, प्रारूप डीपीआर, वित्तीय मॉडल, भूमि से धन अर्जन के सुझाव, एसपीवाई तैयार करने की सर्वोत्तम परिपाटियां, वित्तीय लिखतों का प्रयोग, और जोखिम को कम करने की तकनीक) तथा राज्यों और यूएलबी के बीच जानकारी साझा करने हेतु तंत्र (प्रकाशन, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों के जरिए) शामिल हैं।

**(प्रदीप कुमार सिंह)**
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.: 23062951

सेवा में,

1. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. सचिव, आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
4. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय
5. निदेशक, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली
6. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन, नई दिल्ली
7. प्रधान सचिव (शहरी विकास), हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड
8. राष्ट्रीय मिशन निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

**प्रति अग्रेषितः-**

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सभी मुख्य सचिव/प्रशासक
2. अपर सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
3. सभी संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय/सभी संयुक्त सचिव (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)
4. सभी निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय/आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
5. सभी अवर सचिव (स्मार्ट सिटीज प्रभाग), शहरी विकास मंत्रालय